

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1553 / FP/UK/ROAD/9600/2015 दिनांक: देहरादून २४ दिसम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगुनियाखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 29-12-2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 29-12-2020 के सम्बन्ध में वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 876/12-1 दिनांक 16.12.2022 एवं प्रमागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 9750/13-फगुनियाखेत दिनांक 23.06.2021 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

S.N	Conditions	Comments
1	Detail of area proposal for muck disposal not filled at para B 2.4 in Part I online State govt. may provided the detail of the area proposed for muck dumping.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस परियोजना में मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार कुल 7020.00 घन मी० मलुवा निकल रहा है उक्त निर्माण कार्य में कुल 7138.75 घन मी० मलवा प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। अतः सम्पूर्ण मलवा कार्ययोजना में प्रयुक्त कर लिया गया जायेगा। अतः मलवा निस्तारण हेतु अलग से भूमि की आव यकता नहीं होने के कारण मलवा निस्तारण हेतु भूमि प्रथक से प्रस्तावित नहीं की गई है।
2	SOI toposheet of proposed road is not found uploaded. State govt. may upload the SOI toposheet of the proposed road at para C (iii) in Part-I.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा डिजिटल मानचित्र टोपो सीट में प्रस्तावित मार्ग को अंकित करते हुए के Form A part I para (iii) में अपलोड कर दिया गया है।
3	Very few coordinates marked in the digital map of the proposed road and CA area. State govt. may upload scanned copy of digital map providing geo coordinates at 200 m to 300m interval along the alignment of the proposed road including all turning points and loacation of dumping site may also shown with the geo- coordinates. Geo coordinates at all the corner points of CA area may be shown.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के किनारे में एवं मोटर मार्ग के समरेखन में 200 मी० में आवश्यक coordinates अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
4	Justification is not found uploaded. State govt. may upload the justification for locating the project in the forest area.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Justification प्रपत्र (वैकल्पिक समरेखन निस्तर करने का प्रमाण पत्र) तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	'yes'is mentioned at para J in part I related to scheduled area. state govt. may submit the comments in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा para J in part I में scheduled area की आख्या yes/no किया जाना है reserve forest होने के कारण आख्या Yes की गयी है।

१

6	Name of CA area is not mentioned in the CA site suitability certificate. State govt. may submit the CA site suitability certificate mentioning the name of the CA area.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा CA भूमि को उपयुक्तता का प्रमाण पत्र upload कर दिया गया है।
7	Complete area falls in reserve forest land. width of the road proposed in 9 m. DFO mentioned in his SIR ROW can be taken in 6m at this is only a like road to save the reserve forest area and trees. State govt. not submitted any comment in this regard. State govt. may review the same.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में पूर्व में निर्मित चौड़ा पैदल मार्ग निर्मित है, जिसकी चौड़ाई औसत 4 मी० है मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवक 7 मी० चौड़ाई में ही वृक्षों हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
8	As per the norms of Indian road congress: 52-2019 State govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.1 m Width on turns and 5.2 m for rest of the alignment.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Indian Road Congress: 52-2019 के अनुसार मोड़ों में 6.1 मी० एवं अन्य स्थानों में 5.10 मी० चौड़ाई में ही वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव किया गया है।
9	State govt. may upload the work not start certificate duly authenticated by the DFO.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र अपलोड कर दिया गया है।
10	Blank NPV calculation sheet signed by Assistant Engineer, Executiv engineer and Range forest officer found uploaded in part I. State govt. may provide clarification for such casual approach in this regard and provide the NPV sheet.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा NPV calculation sheet सही कर upload कर दी गयी है।
11	State govt. may upload the CA sheme online at para 13 in part I.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा CA sheme para 13 के part I में अपलोड कर दी गयी है।
12	It is noticed the documents uploaded online are not scanned properly. State govt. may upload properly scanned documents of the proposal in part I/II.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Part I/II में स्पष्ट प्रतियां upload कर दी गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1553 / FP/UK/ROAD/9600/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 876/12-1 दिनांक 16.12.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 9750/13-फगुनियाखेत दिनांक 23.06.2021 के कम में।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० नैनीताल।

28/12/22
(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।